कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अनिल आनन्द, आनन्द भवन, 32, आदर्श नगर, लखनऊ ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**038 / 13, 27.08.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अनिल आनन्द ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अनिल आनन्द, आनन्द भवन, 32, आदर्श नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 27.08.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ‘ TISSUE PAPER ’ पर प्रवेश कर की करदेयता जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अनिल आनन्द उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि TISSUE PAPER All kinds of paper के अन्तर्गत आता है । इस सम्बन्ध में माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा पारित Commissioner of Central Excise Vs M/s S.R. Tissues के निर्णय दिनांक 05.08.2005 की प्रति भी प्रस्तुत की । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम के शिड्यूल में All kinds of paper अंकित है तथा TISSUE PAPER इसके अन्तर्गत आना चाहिए।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-2501, दिनांक 06.01.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि श्री अनिल आनन्द द्वारा न तो कोई व्यापार किया जाता है और न ही वे विभाग में पंजीकृत हैं । अत: वह person or dealer concerned नहीं हैं । अत: उनके प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत देय नहीं है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि ‘‘ उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 ’’ की धारा-04 के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह विज्ञप्ति जारी करके किसी वस्तु पर विभिन्न दर से प्रवेश कर की देयता निर्धारित कर सकते हैं जो कि वस्तु के मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगी । उत्तर प्रदेश के उक्त प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-2815, दिनांक 29.09.2008 के क्रमांक-03 पर पेपर के सन्दर्भ में निम्न विज्ञप्ति दी गयी है :-

Paper meant for writing, printing or packing purpose excluding newsprint

इस विज्ञप्ति के अनुसार लिखने, मुद्रण या पैकिंग में प्रयोग होने वाला कागज ही उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है । TISSUE PAPER का प्रयोग लिखने, प्रिन्टिंग या पैकिंग के उद्देश्य से नहीं होता है । अत: इस पर प्रवेश कर की देयता नहीं होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के उद्देश्य से जारी विज्ञप्ति

....2

के अन्तर्गत केवल लिखने, मुद्रण या पैकिंग में उपयोग का कागज ही करयोग्य है । TISSUE PAPER का प्रयोग इनमें से किसी उद्देश्य के लिए नहीं होता है । अत: इस पर प्रवेश कर की देयता नहीं है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 31 जनवरी, 2014 ह0 / 31.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।